RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
28
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ / Classical Languages of India

संदर्भ:

भारत सरकार ने पांच और भाषाओं – मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला – को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही देश में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के मानदंड (Criteria for Classical Language Status):

किसी भाषा को **शास्त्रीय भाषा (Classical Language)** के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, भारत के **संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)** द्वारा निर्धारित कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। इन मानदंडों में हाल ही में **2024 में संशोधन** किया गया था।

मुख्य मानदंड (Main Criteria):

1. **प्राचीनता:** भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों या दर्ज इतिहास की अवधि 1,500 से 2,000 वर्षों तक की होनी चाहिए।
2. **प्राचीन साहित्य:** भाषा में प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का ऐसा भंडार होना चाहिए जिसे उसके वक्ताओं द्वारा महान सांस्कृतिक धरोहर (valuable heritage) माना जाता हो।
3. **मौलिक साहित्यिक परंपरा:** भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, न कि किसी अन्य भाषा या समुदाय से उधार ली गई (borrowed)।
4. **आधुनिक रूपों से भिन्नता:** शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक रूपों या उसकी उपभाषाओं से स्पष्ट रूप से भिन्न (distinct) होना चाहिए। इसके साथ ही, शास्त्रीय और बाद के संस्करणों के बीच **स्पष्ट अंतराल (discontinuity)** भी हो सकता है।
5. **ज्ञानग्रंथों की उपस्थिति:** भाषा में ज्ञान से संबंधित ग्रंथ (knowledge texts), विशेष रूप से गद्य साहित्य (prose) के साथ-साथ काव्य साहित्य (poetry) भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसमें शिलालेखों और अभिलेखीय प्रमाणों (epigraphical and inscriptional evidence) का होना भी आवश्यक है।

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ:

छह भारतीय भाषाओं – तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओड़िया – को 2004 से 2024 के बीच शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इन सभी शास्त्रीय भाषाओं को **भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची** में शामिल किया गया है।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का महत्व:

शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से भाषा के **संरक्षण (preservation)** और **प्रचार-प्रसार (promotion)** के लिए कई लाभ प्राप्त होते हैं –

1. **शैक्षणिक सहायता (Academic Support):** सरकार इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र (research centres) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अध्यापन पद (academic chairs) स्थापित करती है।
2. **पुरस्कार (Awards):** भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्वानों के लिए **दो** वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।
3. **वित्तीय सहायता (Funding):** इन भाषाओं के संरक्षण, प्रलेखन और प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. **सांस्कृतिक गौरव (Cultural Prestige):** यह दर्जा भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाता है और उसके भाषाभाषियों में गर्व की भावना (sense of pride) उत्पन्न करता है।

आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule)

- संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है।
- भारतीय संविधान का भाग XVII (Part XVII) अनुच्छेद 343 से 351 तक राजकीय भाषाओं से संबंधित है।

वर्तमान में आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

ऐतिहासिक क्रम:

1. प्रारंभ में **14 भाषाएँ** संविधान में शामिल थीं।
2. **सिंधी** भाषा को **1967** में जोड़ा गया।
3. कोंकणी, मणिपुरी नेपाली भाषाएँ 1992 में जोड़ी गईं।
4. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएँ 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत जोड़ी गईं।

प्रधानमंत्री – आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन / PM–ABHIM

संदर्भ:

भारत ने अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 25 अक्तूबर 2021 को शुरू किए गए **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)** के माध्यम से देश में एक सुदृढ़, सुलभ और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

- वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक ₹64,180 करोड़ (US$ 7.31 बिलियन) के निवेश के साथ, यह मिशन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बना रहा है।
- इसके तहत देशभर में **9,**519 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs), 5,456 शहरी AAMs, 2,151 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (BPHUs), 744 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (IPHLs) और 621 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स (CCBs) की स्थापना व उन्नयन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री – आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM–ABHIM):

- **शुरुआत:** 2021
- **प्रकार:** केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS), जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector - CS) घटक भी शामिल हैं। मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मुख्य उद्देश्य (Objective): ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक एक **मजबूत, समावेशी** और **तकनीकी-सक्षम** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना।

नीतिगत संबंध (Policy Alignment):

यह योजना निम्नलिखित नीतियों पर आधारित है –

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017)**
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2005)**
- **आयुष्मान भारत (2018)**

मुख्य घटक (Core Components):

1. **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत कर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (comprehensive primary care) प्रदान करना।
2. **ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ:** ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन और सेवा वितरण (health administration and service delivery) को सुदृढ़ करना।
3. **एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ:** प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला स्थापित करना, जिससे जांच और निगरानी क्षमता (diagnostic and surveillance capacity) में वृद्धि हो।
4. **क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक:** पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।
5. **शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र:** झुग्गी और वंचित शहरी क्षेत्रों (slum and underserved areas) में नए AAMs स्थापित करना।
6. **महामारी तैयारी:** एक रीयल-टाइम आईटी-सक्षम रोग निगरानी नेटवर्क (real-time IT-enabled disease surveillance network) तैयार करना, जो ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जोड़ता है ताकि महामारी की शीघ्र पहचान और प्रतिक्रिया (early outbreak detection and response) की जा सके।
7. **अनुसंधान और नवाचार:** वन हेल्थ अप्रोच (One Health Approach) को बढ़ावा देना, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य (human, animal & environmental health) से जुड़े चुनौतियों को एकीकृत रूप से संबोधित करता है।

साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन / UN Convention against Cybercrime

संदर्भ:

हनोई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साइबर अपराध से निपटने के लिए समर्पित पहला वैश्विक समझौता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में सुरक्षा, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions):

1. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
   - यह संधि सीमापार जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आदान-प्रदान के लिए एक ढांचा तैयार करती है।
   - एक 24x7 नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे देश एक-दूसरे से तुरंत सहायता मांग सकें।
   - इसमें आपसी कानूनी सहायता और साइबर अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए मानक तय किए गए हैं।
2. **अपराधों का विस्तार:**
   - इस संधि में अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर-निर्भर अपराध और बिना सहमति के निजी तस्वीरों को साझा करना शामिल है।
   - यह ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उत्पीड़न जैसे अपराधों को भी विशेष रूप से संबोधित करती है।
3. **मानवाधिकारों का सम्मान:** प्रावधानों में यह अनिवार्य किया गया है कि सदस्य देश इस संधि को लागू करते समय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप कार्य करें।
   - हालांकि, इन सुरक्षा उपायों की मजबूती को लेकर आलोचना भी की गई है।
4. **क्षमता निर्माण:** यह संधि उन देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण पर जोर देती है जिनके पास साइबर अपराध से निपटने की पर्याप्त संरचना नहीं है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए।

इतिहास और पृष्ठभूमि (History and Context)

- यह नई संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संधि, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम की जगह मुख्य अंतरराष्ट्रीय समझौते के रूप में लाई गई है।
- इस प्रक्रिया की शुरुआत **2019** में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस समर्थित प्रस्ताव पारित कर नई साइबर अपराध संधि तैयार करने का निर्णय लिया।
- इस पहल का समर्थन *चीन, ईरान और वेनेज़ुएला* जैसे देशों ने किया, जिन्होंने कहा कि बुडापेस्ट संधि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व में बनाई गई थी।
- *अंतिम मसौदा अगस्त 2024* में एक विशेष समिति द्वारा अपनाया गया और *दिसंबर 2024* में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे औपचारिक रूप से मंज़ूरी दी।
- *अमेरिका* ने प्रारंभ में इस नई संधि का विरोध किया था, लेकिन अंततः इस पर हस्ताक्षर किए ताकि वह इसके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका बनाए रख सके।

विवाद और आलोचना (Controversy and Criticism)

1. **मानवाधिकारों पर खतरा:** मानवाधिकार संगठनों, जैसे *ह्यूमन राइट्स वॉच*, का कहना है कि संधि की परिभाषाएँ बहुत व्यापक हैं और मानवाधिकार सुरक्षा बहुत अस्पष्ट है।
   - इससे *तानाशाही सरकारें* निगरानी बढ़ाने और *पत्रकारों, असहमति रखने वालों व अल्पसंख्यकों* को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती हैं।
2. **उद्योग जगत की चिंताएँ:** *माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को* जैसी बड़ी टेक कंपनियों और *इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन* जैसी संस्थाओं ने कहा है कि इस संधि में *साइबर सुरक्षा अनुसंधान की रक्षा* के प्रावधान नहीं हैं। इससे वैध गतिविधियाँ, जैसे *पेनिट्रेशन टेस्टिंग*, अपराध मानी जा सकती हैं और कंपनियों पर सुरक्षा प्रणालियों को कमजोर करने का दबाव पड़ सकता है।
3. **राष्ट्रीय कानूनों पर निर्भरता:** आलोचकों के अनुसार, संधि में मानवाधिकारों का सामान्य उल्लेख तो है, लेकिन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन का निर्णय *हर देश पर छोड़ दिया गया है*, जिससे *दमनकारी शासन* इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

अल-फ़शीर में मानवीय संकट / Humanitarian crisis in Al-Fashir

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि सूडान के अल-फशीर क्षेत्र में हजारों बच्चे गंभीर खतरे में हैं, क्योंकि 16 महीने लंबे घेरेबंदी के दौरान कुपोषण की दर तेजी से बढ़ रही है। लगभग 2.5 लाख नागरिक, जिनमें आधे बच्चे शामिल हैं, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह कटे हुए हैं, जिससे उनकी जीवन रक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है।

अल-फ़शीर में मानवीय संकट-

1. घेराबंदी और भूखमरी

- पिछले 16 महीनों से अधिक समय से 2.6 लाख से ज़्यादा नागरिक, जिनमें 1.3 लाख बच्चे शामिल हैं, शहर में फँसे हुए हैं।
- उन्हें खाना, पानी और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं।
- कई लोगों को पशु चारा (animal fodder) खाने तक की नौबत आ गई है।

2. कुपोषण में तेज़ बढ़ोतरी

- UNICEF के अनुसार बच्चों में गंभीर कुपोषण (severe acute malnutrition) के मामलों में 46% की वृद्धि हुई है।
- अगस्त 2025 में UNICEF ने पोषण सेवाएँ बंद करनी पड़ीं क्योंकि सामग्री ख़त्म हो गई थी।
- लगभग **6,000 बच्चे** बिना इलाज के रह गए हैं।

3. हैजा (Cholera) का प्रकोप

- जुलाई 2024 से सूडान में दशकों का सबसे भीषण हैजा प्रकोप फैला है।
- अब तक करीब 1 लाख संदिग्ध मामले और 2,400 मौतें दर्ज हुई हैं।
- भूख से कमजोर बच्चे डारफुर में हैजा जैसी जलजनित बीमारी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं।

4. हिंसा और विस्थापन

- सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) के बीच लड़ाई जारी है।
- RSF ने हाल ही में शहर पर नियंत्रण का दावा किया है।
- हत्या, यौन हिंसा और जबरन भर्ती (forced recruitment) की घटनाएँ सामने आई हैं।
- हज़ारों लोग अल-फ़शीर और आसपास के शिविरों से विस्थापित हो चुके हैं।

5. बुनियादी ढाँचे पर हमले

- अस्पतालों, बाज़ारों और विस्थापन शिविरों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
- अगस्त 2025 में अबू शौक शिविर पर हमले में 7 बच्चों की मौत हुई।
- मानवीय सहायता कर्मी (humanitarian workers) भी निशाने पर हैं।

संयुक्त राष्ट्र की अपील (UN Call for Action):

IOM, UNICEF, WFP जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मिलकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है –

1. अल-फ़शीर में तत्काल और स्थायी युद्धविराम।
2. सहायता पहुँचाने के लिए निर्बाध पहुँच– भोजन, दवा और साफ़ पानी उपलब्ध कराने हेतु।
3. नागरिकों की सुरक्षा – अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के अनुरूप।
4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता, क्योंकि 2025 का Sudan Humanitarian Response Plan अभी गंभीर रूप से कम वित्तपोषित है।

अल-फ़शीर के बारे में (About Al-Fashir):

स्थान (Location)

- अल-फ़शीर सूडान के पश्चिमी हिस्से में स्थित उत्तर दारफुर (North Darfur) की राजधानी है।
- यह शहर वर्तमान में सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे संघर्ष से घिरा (besieged) हुआ है।

मुख्य समस्या (Issue)

- यह शहर दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना का अंतिम ठिकाना (last holdout) है।
- यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरी तरह ढह चुकी हैं, और एक गंभीर मानवीय संकट बना हुआ है।

मानवीय स्थिति (Humanitarian Situation)

- पूरे सूडान में 3 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चे शामिल हैं, को तत्काल सहायता (urgent aid) की आवश्यकता है।
- लेकिन संयुक्त राष्ट्र (UN) के Sudan Humanitarian Response Plan (2025) का केवल 25% ही वित्तपोषित (funded) हुआ है, जबकि कुल अनुमानित राशि $4.2 बिलियन है।

रानी चेन्नम्मा / Rani Chennamma

संदर्भ:

कर्नाटक के कित्तूर में 'कित्तूर रानी चेनम्मा उत्सव' का तीन दिवसीय आयोजन शुरू हुआ है। यह उत्सव **रानी चेनम्मा के साहस और वीरता को सम्मानित करने** के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया था।

परिचय:

- वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली भारत की शुरुआती शासकों में से एक थीं – यह 1857 के विद्रोह (Revolt of 1857) से कई दशक पहले हुआ था।
- आज उन्हें कर्नाटक के गर्व (symbol of Karnataka's pride) और प्रारंभिक नारीवादी प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

विद्रोह:

- ब्रिटिश अधिग्रहण रोकने के लिए चेनम्मा ने अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेकर उत्तराधिकारी (adopted heir) घोषित किया।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (British East India Company) ने इस गोद लेने को अस्वीकार कर दिया, जो बाद में बने Doctrine of Lapse (लॉर्ड डलहौज़ी की नीति) का शुरुआती उदाहरण था।
- सत्ता खोने के खतरे के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय प्रतिरोध का रास्ता चुना।
- उन्हें कैद (imprisoned) किया गया और 1829 में कैद में ही मृत्यु हो गई।

विरासत:

1. सामाजिक (Social)

- वे एक फेमिनिस्ट (feminist) और राष्ट्रवादी प्रतीक (nationalist icon) थीं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं।

2. ऐतिहासिक (Historical): उन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की शुरुआत की।

3. सांस्कृतिक: उनका नाम कर्नाटक की लोककथाओं (Karnataka's folklore) और जनस्मृति में आज भी जीवित है।

INS माहे / INS Mahe

संदर्भ:

भारतीय नौसेना ने **आईएनएस माहे** नामक नए नौसैनिक पोत को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस पोत के शामिल होने से **भारत की समुद्री क्षमता** और **तटीय सुरक्षा अवसंरचना** को और अधिक मजबूती मिली है।

INS Mahe के बारे में:

1. परिचय (Introduction):

- INS Mahe एक survey vessel (सर्वे जहाज़) है, जिसे hydrographic surveys और oceanographic data collection के लिए बनाया गया है।
- यह Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) की श्रृंखला का पहला जहाज़ है।

2. विशेषताएँ (Key Features):

- यह 78 मीटर लंबा युद्धपोत (warship) है।
- यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज़ है जो diesel engine-waterjet combination से संचालित होता है।
- निर्माता (Built by): इसे Cochin Shipyard Limited (CSL), कोच्चि द्वारा बनाया गया है।

3. नामकरण (Naming):

- इसका नाम माही (Mahe), जो पुदुचेरी का एक तटीय नगर है और पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था, के नाम पर रखा गया है।
- यह नाम भारत की समुद्री विरासत को दर्शाता है।

4. डिज़ाइन और मानक (Design & Standards):

- INS Mahe को Det Norske Veritas (DNV) के Classification Rules के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- DNV: यह एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानक है, जो जहाज़ों और अपतटीय संरचनाओं के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित सुरक्षा, विश्वसनीयता और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करता है।

5. महत्व (Significance):

- यह जहाज़ भारतीय नौसेना की सर्वे क्षमता को बढ़ाता है।
- यह समुद्री नेविगेशन सुरक्षा (navigational safety) और नौसैनिक अभियानों (naval operations) में सहायक है।
- यह भारत की ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy initiatives) को भी सशक्त बनाता है।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..
Baaten Bazar Ki

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
EMI AVAILABLE
BBK
Baaten Bazar ki
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR